09/04/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विभाग कार्यों में व्यस्त है, मिसल इन्तया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 09/05/24 को पेश हो।

9/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु.। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में अईन्दा। दिनांक 17/5/24 को पेश हो।

17/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित विप्रार्थीगण के सम्मन पुन: पेश करने का न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 31/05/24 को पेश हो।

31/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 07/06/2024 को पेश हो।

07/06/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विभाग कार्यों में व्यस्त है, मिसल इन्तया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 13/06/24 को पेश हो।

13/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण को जवाब का अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया अत: उनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अत: तत्संबंधी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 05/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

जुमा वगैरा बनाम असगरअलीशाह वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री बाबुलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक – 19/06/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवार भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा भंवार के खेत खसरा संख्या 546/171 रकबा 3.4398 हैक्टर, खसरा संख्या 447/171 रकबा 3.4398 हैक्टर, खसरा संख्या 547/171 रकबा 3.4479 हैक्टर, खसरा संख्या 446/171 रकबा 10.3276 हैक्टर, खसरा संख्या 448/171 रकबा 8.7007 हैक्टर, खसरा संख्या 445/171 रकबा 8.7088 हैक्टर, खसरा संख्या 419/183 रकबा 1.5864 हैक्टर, खसरा संख्या 418/183 रकबा 1.5783 हैक्टर व खसरा किस्म बा.सोयम** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्‌डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र भंवार भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा भंवार के खेत खसरा संख्या 546/171 रकबा 3.4398 हैक्टर, खसरा संख्या 447/171 रकबा 3.4398 हैक्टर, खसरा संख्या 547/171 रकबा 3.4479 हैक्टर, खसरा संख्या 446/171 रकबा 10.3276 हैक्टर, खसरा संख्या 448/171 रकबा 8.7007 हैक्टर, खसरा संख्या 445/171 रकबा 8.7088 हैक्टर, खसरा संख्या 419/183 रकबा 1.5864 हैक्टर, खसरा संख्या 418/183 रकबा 1.5783 हैक्टर व खसरा किस्म बा. सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा